<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 603 / 16</u> संस्थापन दिनांक:-27 / 09 / 16 फाईलिंग नं. 400494 / 2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

सूरज पिता सुखनंदन गायकी, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड क. 18, बोड़खी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u> -: (निर्णय) :-</u>

(आज दिनांक 20.07.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 12.09.2016 को रात करीब 08:50 बजे थाना आमला से 02 किमी. पश्चिम में पुरानी पुलिस चौकी बोड़खी के सामने आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार कटार जिसकी कुल लंबाई 20 इंच, मूठ की लंबाई 5½ इंच, चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 12.09. 2016 को प्रधान आरक्षक शिवदयाल साहू को मुखबिर से सूचना मिली कि पुरानी बोड़खी में अभियुक्त हाथ में लोहे की कटार लेकर आने जाने वाले लोगों को धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की कटार लिये लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे घ राबंदी कर मय कटार के पकड़ा गया। अभियुक्त द्वारा कटार रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे की कटार जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 481/16 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

4

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.09.2016 को रात करीब 08:50 बजे थाना आमला से 02 किमी. पश्चिम में पुरानी पुलिस चौकी बोड़ खी के सामने आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार कटार जिसकी कुल लंबाई 20 इंच, मूठ की लंबाई 5½ इंच, चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 शिवदयाल साहू (अ.सा.—3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 12.09. 2016 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की कटार लिये आने जाने वाले लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा कटार रखने के संबंध में दस्तावेज न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की कटार जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क. 481/16 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—5) लेख की थी।
- 6 साक्षी सुदामा (अ.सा.—1) एवं सुभाष (अ.सा.—2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है परंतु साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।
- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी सुदामा (अ.सा.—1) एवं सुभाष (अ.सा.—2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर शिवदयाल साहू (अ.सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई. आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी

जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

- शिवदयाल साहू (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ और रहागीर साक्षी को लेकर मौके पर गया तब अभियुक्त हाथ में लोहे की कटार लेकर लोगों को डरा रहा था जिससे लोहे की कटार गवाहों के समक्ष जप्त किया गया और उसे गिरफतार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी अनुसंधान की कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है। जप्ती प्रपत्र (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से गवाहों के समक्ष कथित आयुध जप्त कर उसे मौके पर ही सीलबंद किया गया हो। साथ ही जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों में अपराध कमांक पूर्व से लेख है जिससे इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ़तारी की कार्यवाही के पश्चात तैयार किये गये होंगे। साथ ही विवेचक साक्षी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि मौके पर जप्तश्रदा आयुध की नापजोप की गयी थी एवं जप्तशुदा आयुध धारदार था और न ही इसका कोई स्पष्टीकरण उसके कथनों से प्रकट हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- 9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 12.09.2016 को रात करीब 08:50 बजे थाना आमला से 02 किमी. पश्चिम में पुरानी पुलिस चौकी बोड़खी के सामने आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार कटार जिसकी कुल लंबाई 20 इंच, मूठ की लंबाई 5½ इंच, चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त सूरज को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार कटार अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 11 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)